सं. 4/79/2006-पी एंड पी डब्ल्यू (डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 मई, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में आमेलन पर एकमुश्त भुगतान आहरित करने वाले सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन के एक तिहाई संराशिकृत अंश को बहाल किया जाना - 2005 की एसएलपी सं. 21647-648 के कारण उत्पन्न 2006 की सिविल अपील सं. 5269 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.06 को दिए गए निर्णय द्वारा अनुसरित 2003 की रिट याचिका सं. 8532 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 24.12.03 के निर्णय और 2007 की पुनर्याचिका सं. 643 पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन – दिनांक 6.9.2007 के कार्यालय ज्ञापन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में आमेलन पर यथानुपात पेंशन (एक तिहाई एवं दो तिहाई) के सम्बन्ध में एकमुश्त भुगतान आहरित किया है और वे इस विभाग के दिनांक 5 मार्च, 87 के कार्यालय ज्ञापन सं. 34/2/86-पीएंडपीडब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार संराशिकरण की तारीख या 1.4.85 जो भी बाद में हो से 15 वर्ष के बाद पेंशन के एक तिहाई संराशिकृत अंश की बहाली के हकदार हो गए हों, को इस विभाग के दिनांक 14 जुलाई, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/59/97-पीएण्डपीडब्ल्यू(डी) तथा दिनांक 6.9.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/79/2006-पीएण्डपीडब्ल्यू के द्वारा शासित किया जाता है ।

2. उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित किए जाने से सम्बन्धित तौर-तरीके दिनांक 6.9.2007 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में विस्तृत रूप से दिए गए हैं । तथापि, इस विभाग को कतिपय स्पष्टीकरणों के लिए व्यक्तियों, संघों और मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध मिलते रहे हैं । इस मामले में जॉच-पड़ताल की गई है और निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:-

क्रम सं.	उठाए गए बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	पैरा 3(1)(ख) । क्या तारीख 31.12.85 पेंशन या महंगाई राहत के संदर्भ में है	वर्णित तारीख पेंशन के संदर्भ में है अर्थात् 31.12.85 की स्थिति के अनुसार पेंशन को ध्यान में रखा जाएगा ।
2	पैरा 3(1)(ख) । महंगाई राहत की दर क्या है	महंगाई राहत की दर जिसे पेंशन के संशोधन के लिए अर्थात् 1.1.1986 की स्थिति के अनुसार ध्यान में रखा गया था, लागू होगी ।
3	पैरा 3(II) (ख) में क्या तारीख 31.12.95 पेंशन या महंगाई राहत के संदर्भ में है	वर्णित तारीख पेंशन के संदर्भ में है अर्थात् 31.12.95 की स्थिति के अनुसार पेंशन को ध्यान में रखा जाएगा ।
4	पैरा 3(II) (ख) । में महंगाई राहत की दर क्या है	महंगाई राहत की दर जिसे पेंशन में संशोधन के लिए अर्थात् 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार ध्यान में रखा गया था, लागू होगी ।
5	पैरा 3(I) (ख) । में 31.12.85 के अनुसार पूर्ण पेंशन क्या है ।	पूर्ण पेंशन, 1979 के लिबरालाइज्ड पेंशन फार्मूला (व्यय विभाग का दिनांक 22.10.83 का कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.1(3)-ईवी/83) के अनुसार 1979 से पहले के पेंशनभोगियों के मामले में संशोधित पेंशन या स्वीकृत वास्तविक पूर्ण पेंशन होगी ।
6	पैरा 3(II) (ख) । में 31.12.95 के अनुसार पूर्ण पेंशन क्या है	पूर्ण पेंशन, कार्यालय ज्ञापन सं. 4/59/97-पीएण्डपीडब्ल्यू(डी) दिनांक 14.7.1998 तथा समसंख्यक शुद्धि-पत्र दिनांक 5.2.99 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन सं. 4/59/98-पीएण्डपीडब्ल्यू(डी) दिनांक 12.1.99 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार 1986 से पहले के पेंशनभोगियों के मामले में संशोधित नोशनल पूर्ण पेंशन या 1986 के बाद के पेंशनभोगियों के मामले में स्वीकृत वास्तविक पूर्ण पेंशन होगी ।

(अमिताभ द्विवेदी)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष सं. 24644636

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

(डाक सूची के अनुसार)